रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, अप्रैल 29—मई 5, 2012, शनिवार/वैशाख 9—वैशाख 15, 1934
No. 10] NEW DELHI, APRIL 29—MAY 5, 2012, SATURDAY/VAISAKHA 9—VAISAKHA 15, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 1 मई, 2012

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ग' (लिपिकीय) पद, भर्ती नियम, 2010 में—

(क) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,

(I) स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान 'टिप्पण 1' और 'टिप्पण 3' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

"**टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जायेगी ।

टिप्पण 3: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।"

(II) स्तंभ (13) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:-

"समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारूद), किरकी, पुणे —अध्यक्ष
2. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (गोला बारूद), किरकी, पुणे से एक समूह "क" अधिकारी —सदस्य
3. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरी उपष्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य
4. क्वालिटी आश्वासन नियंत्रणालय (सैनिक विस्फोटक), पुणे से एक समूह "क" अधिकारी —सदस्य
5. प्रशासन निदेशालय नियंत्रणालय, मुख्यालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य"

(ख) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने,

(I) स्तंभ (7) के अधीन 'टिप्पण 2' और 'टिप्पण 3' को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**टिप्पण 2:** आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी" ।

(II) स्तंभ (8) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता ।

(ii) कंप्यूटर पर कुशल परीक्षण मान:

अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रतिमिनट की गति या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति (अनुज्ञात समय 10 मिनट)

(प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रतिघंटा/9000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट)

टिप्पण 1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2: शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त ऐसे व्यक्ति को, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है किन्तु उसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अध्यधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संबद्ध चिकित्सा बोर्ड या जहाँ ऐसा कोई बोर्ड नहीं है वहाँ सिविल सर्जन यह प्रमाणित करता है कि असुविधाग्रस्त व्यक्ति टंकण करने के योग्य नहीं है ।

वांछनीय :

कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान"

(III) स्तंभ (11) के अधीन विद्यमान प्रविष्टि "(i) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती)"

(IV) स्तंभ (12) के अधीन विद्यमान 'टिप्पण' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :-

"**टिप्पण** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।"

[फा. सं. ए/86320/आर आर/क्लेरिकल/डीजीक्यूए/प्रशा.-10/790/डी(क्यू ए)/2012]

सुभाष चंद, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम का.नि.आ. 26 तारीख 14 जून, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 तारीख 26 जून, 2010 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Production)

(DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE)

New Delhi, the 1st May, 2012

S.R.O. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Clerical) posts Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Clerical) Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' (Clerical) posts, Recruitment Rules, 2010—

(a) against serial number 1 relating to the post of Upper Divisional Clerk,

(I) under Column 12, for the existing 'Note l' and 'Note 3', following entries shall be substituted, namely:—

"**Note 1:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service."

(II) Under Column 13, for existing entry, following entry shall be substituted, namely :—

"Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune —Chairman
2. A Group 'A' Officer of Controllerate of Quality Assurance (Ammunition), Kirkee, Pune —Member
3. A Group 'A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune —Member

4. A Group 'A' Officer from Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Pune —Member

5. A Group 'A' Officer from Directorate of Administration, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance —Member".

(b) against serial number 2 relating to the post of Lower Division Clerk,

(I) under Column (7), existing 'Note 2' and 'Note 3' shall be deleted and following 'Note' shall be substituted, namely :—

"**Note 2:** The crucial date for determining the age-limit shall be advertised by the Staff Selection Commission".

(II) under Column (8), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) 12th class or equivalent qualification from any recognized Board or University.

(ii) Skill Test Norms on computer :

English typing @ 35 words per minute; or Hindi Typing @ 30 words per minute (Time allowed-10 minutes)

(35 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi correspond to 10,500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word).

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: A Physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not posses the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type.

Desirable:

Basic knowledge in computers."

(III) under Column (11), for existing entry "(i) ninety per cent by direct recruitment," following entry shall be substituted, namely:—

"(i) Ninety per cent by direct recruitment

(Direct recruitment through Staff Selection Commission)"

(IV) under Column (12), for existing 'Note', following shall be substituted, namely:—

"**Note:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission."

[F. No. A/86320/RR/Clerical/DGQA/Adm-10/790/D(QA)/2012]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 4 dated 26th June, 2010 *vide* SRO 26 dated 14th June, 2010.